[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ] भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 02 अप्रैल, 2018

का.आ. (अ).- केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 129 की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते ह्ए, भारत सरकार, कारपोरेट कार्य मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ.529(अ), तारीख 05 फरवरी, 2018 में जनहित में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, प्रारंभिक पैराग्राफ में "सात वर्ष के लिए" शब्दों का लोप किया जाएगा।

[फा.सं. 17/32/2017-सीएल.V]

के.की.अर. मूर्ति)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

टिप्पणः मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्या का.आ.529(अ), तारीख 05 फरवरी, 2018 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRA-ORDINARY, PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

New Delhi, the O2April, 2018

S.O. ___ (E). - In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of section 129 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government, in the interest of public, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Corporate Affairs, number S.O. 529(E), dated the 5th February, 2018, namely:-

2. In the said notification, in the opening paragraph, the words "for seven years" shall be omitted.

[F, No. 17/32/2017-CL-V]

K.V.R. Murty, Joint Secretary

Note:- The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide notification number S.O. 529(E), dated the 5th February, 2018.